

अध्याय 5: आंतरिक नियंत्रण

5.1 प्रस्तावना

नीति निर्माण और कार्यान्वयन को सुधारने के लिए आंतरिक नियंत्रण आवश्यक है। आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावी प्रणाली यथोचित आश्वासन कि उनके प्रमाणित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करना आईटीडी द्वारा नये कदम और कार्रवाई की गई, को प्राप्त करने के लिए साधनों के रूप में कार्य करता है। हमने फर्मों से संबंधित आयकर आयुक्तों³⁰ पर उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच द्वारा आईटीडी के नियंत्रण मामलों को उजागर करने का प्रयास किया।

आईटीडी ने निगरानी में महत्व को कम करते हुए फर्मों के लिए रखे गये रिकॉर्डों की जांच/तिमाही समीक्षा नहीं की।

5.2 निगरानी

अधिनियम की धारा 119 दर्शाती है कि समय-समय पर, सीबीडीटी अन्य आय कर अधिकारियों को ऐसे आदेश, निर्देश और निदेश जारी करती हैं जो अधिनियम के उचित संचालन हेतु उचित समझे जाते हैं, और इस अधिनियम में नियोजित ऐसे प्राधिकारियों और अन्य सभी व्यक्ति अवलोकन करेंगे और सीबीडीटी के ऐसे आदेशों, निर्देशों और निदेशों का पालन करेंगे।

इस प्रकार, यह अनिवार्य है कि इन संविधियों के कार्यान्वयन में नियोजित सभी अधिकारी उचित कर संचालन के लिए सीबीडीटी द्वारा जारी आदेशों, निर्देशों और निदेशों का अवलोकन करेंगे और उनका अनुपालन करेंगे। सीबीडीटी द्वारा जारी किये गये कुछ निर्देशों का सार बॉक्स 5.1 में दिया गया है।

बॉक्स 5.1 निरीक्षण से संबंधित निर्देश

क. निर्देश सं. 16/2008 दिनांक 04 नवम्बर 2008: आयकर आयुक्तों द्वारा उनके नियंत्रण के अधीन रेंज कार्यालयों और सर्कल कार्यालयों में निरीक्षण करना और निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

ख. निर्देश सं. 15/2008 दिनांक 04 नवम्बर 2008: प्रत्येक सीआईटी द्वारा डीसीआईटी/एसीआईटी के निर्धारण की समीक्षा करना और प्रति तिमाही प्रत्येक डीसीआईटी/एसीआईटी के कम से कम तीन निर्धारण करना आवश्यक है। इसी प्रकार, रेंज अधिकारियों ने अपनी रेंज में आईटीओज़ द्वारा किये गये निर्धारणों की समीक्षा हेतु करना आवश्यक है और प्रति तिमाही प्रत्येक आईटीओ के कम से कम तीन निर्धारणों पर विशिष्ट टिप्पणी करना आवश्यक है।

30 प्रत्येक राज्य हेतु मूल्यांकन के लिए दो आयकर आयुक्तों।

हमारे द्वारा आईटीडी निगरानी में पाई गई कमियां इस प्रकार हैं:

- क. पश्चिम बंगाल में, नि 11.व.हेतु सीआईटी-केंद्रीय-III और सीआईटी-XI, कोलकाता द्वारा किये गये निरीक्षण से कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि निरीक्षण रिपोर्टों में इंगित की गई कमियां अगले वर्ष भी निरीक्षण रिपोर्ट में निरंतर आ रही थी। हमने यह भी कि आयकर आयुक्तों और रेंज अधिकारियों ने निर्देशों में विनिर्दिष्ट सीमा के प्रति निर्धारण आदेशों की कम संख्या में समीक्षा की, जिससे आईटीडी की नियंत्रण गतिविधियां कमजोर हो रही हैं।
- ख. सीआईटी-भुवनेश्वर (नि.व.13 हेतु), सीआईटी-कटक (नि.व.12 और नि.व.13 हेतु) और उनके रेंज कार्यालय, आयुक्तों के साथ-साथ रेंज अधिकारियों ने उनके अधीनस्थ कार्यालयों में निरीक्षण नहीं किये।
- ग. सीआईटी-VIII चेन्नई तथा सीआईटी-कोयम्बटूर तमिलनाडु में, नॉन-फाइलर तथा स्टोप फाइलर को भेजे गए नोटिसों के मामले से संबंधित सीआईटी के स्तर पर कोई मॉनीटरिंग/नियंत्रण नहीं था।
- घ. सीआईटी-II पटना प्रभार बिहार में, वि.व.09 हेतु **मै. उमा शंकर सिंह** के मूल्यांकन रिकॉर्ड से पता चला कि सीआईटी पटना ने तिमाही समीक्षा की थी तथा कुछ अवलोकनों पर एओ से अनुपालन रिपोर्ट मांगी। एओ ने कोई कार्रवाई नहीं की तथा न ही सीआईटी-II पटना द्वारा किए अवलोकनों पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की।

इसलिए, समय-समय पर सीबीडीटी द्वारा जारी निर्देशों का रेंज अधिकारियों तथा सर्कल अधिकारियों द्वारा ठीक से अनुसरण नहीं किया जा रहा है।

आईटीडी ने निर्धारित रिकॉर्ड का ठीक से रख-रखाव नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण तंत्र अप्रभावी हुआ।

5.3 रजिस्टर के रख-रखाव में कमियां

प्रभावी नियंत्रण तंत्र हेतु आईटीडी के विभिन्न कार्यों के लिए प्रक्रिया का प्रलेखन तथा रजिस्टर का रख-रखाव तथा इसका अद्यतन आवश्यक है (बॉक्स 5.2 देखें)।

बॉक्स 5.2: रजिस्टर के रख-रखाव से संबंधित निर्देश

- क.** दिनांक 12 फरवरी 2009 की निर्देश संख्या 1/2009: क्षेत्राधिकारी एओज तथा नामित एओज को निर्धारित फार्मेट में एआईआर सूचना पर की गई कार्रवाई का रजिस्टर बनाना आवश्यक है जिसका रेंज प्रमुख तथा संबंधित सीआईटी द्वारा प्रत्येक तिमाही में निरीक्षण किया जाना चाहिए।
- ख.** कार्यालय प्रक्रिया की नियमावली के अध्याय 14 का पैरा 2.4.1 (एमओपी)-खण्ड-1, 2003: प्रत्येक एओ को अनुबंध 1 में निर्धारित प्रोफार्मा में एक शिकायत रजिस्टर बनाना होता है।

हमने रजिस्टर के रखरखाव में कमियां पाई जो निम्नलिखित हैं:

- क.** गुजरात में, शिकायत रजिस्टर को ठीक से नहीं बनाया गया। 'कोड संख्या', 'निपटान की प्रकृति' आदि जैसे कॉलमों को रजिस्टर में शामिल नहीं किया गया। निजी जमा (पीडी), अकाउंट कैश बुक, पीडी लेजर अकाउंट तथा पत्राचार फोल्डर की संवीक्षा से पता चला कि बैंक से मासिक बकाया विवरण प्राप्त नहीं किया गया तथा कैश बुक में बकाया के साथ पुनः मिलान किया गया। हमने ₹ 4.82 लाख की राशि के लिए कैश बुक तथा बैंक बुक रिकॉर्ड के अनुसार अन्तः शेष में विसंगति पाई। सीआईटी-वलसाड प्रभार गुजरात में, एरियर मांग संग्रहण रजिस्टर (एडीसीआर) को अद्यतित/संशोधित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप निर्धारिती को ₹ 22 लाख का अधिक क्रेडिट हुआ।
- ख.** उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड में, अग्रिम कर रजिस्टर, वार्षिक सूचना रिटर्न (एआईआर) तथा मूल्यांकन सेल रजिस्टर के संदर्भ जैसे रजिस्ट्रों को या तो बनाया नहीं गया या अद्यतित नहीं किया गया।
- ग.** कर्नाटक तथा पश्चिम बंगाल में, मांग एवं संग्रहण रजिस्टर को अद्यतित नहीं किया गया तथा एआईआर पर की गई कार्रवाई पर सभी रजिस्टर नहीं बनाए गए।
- घ.** हिमाचल प्रदेश प्रभार में, आठ यूनिटों में, एआईआर सूचना के उपयोग के लिए कोई रजिस्टर नहीं बनाया गया तथा एक यूनिट में, तिमाही सत्यापन/मॉनीटरिंग के लिए इसे अपर सीआईटी को प्रस्तुत नहीं किया गया।

लेन-देन की व्यापक रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रजिस्ट्रों का रख रखाव न होने से प्रणाली के महत्वपूर्ण उद्देश्य असफल हुए, इसलिए आईटीडी का आन्तरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर हुआ।

आईटीडी ने अपनी आन्तरिक लेखापरीक्षा को महत्व नहीं दिया क्योंकि इसे न तो किया गया और न ही फर्म आकलन रिकार्ड में शामिल किया गया।

5.4 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा के उद्देश्य में अन्य बातों के साथ-साथ इस जांच को भी शामिल किया गया कि क्या आईटीडी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया तथा शर्तें पर्याप्त हैं तथा सीबीडीटी द्वारा जारी निर्देशों तथा निर्धारित प्रक्रियाओं को पूर्ण रूप से लागू किया जा रहा है। आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य चूक से बचने के लिए सतर्कता करना तथा भूल-चूक को कम करके मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार करना भी है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा करने में निम्नलिखित कमियां थीं:

- क.** उत्तर प्रदेश में, वि.व.11 तथा वि.व.12 के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा नियमित रूप से नहीं की जा रही थी।
- ख.** आंध्र प्रदेश में, लेखापरीक्षा के लिए चयनित 35 यूनिटों में से 7 यूनिटों में आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई तथा 11 यूनिटों में अंशतः पूर्ण की गई।
- ग.** सीआईटी-भुवनेवर प्रभार ओडिशा में, हमने पाया कि कोई भी मूल्यांकन रिकॉर्ड आन्तरिक लेखापरीक्षा पार्टी (आईएपी) द्वारा की गई लेखापरीक्षा का प्रमाण नहीं था।
- घ.** पश्चिम बंगाल में, आन्तरिक लेखापरीक्षा ने वि.व.11 से वि.व.13 की अवधि के दौरान सीआईटी XI एवं सीआईटी केन्द्रीय III कोलकाता के अन्तर्गत मूल्यांकन प्रभार में फर्म से संबंधित पूर्ण मूल्यांकन की जांच नहीं की।
- ङ.** सीआईटी-देहरादून प्रभार, उत्तराखण्ड में, हमने पाया कि आईएपी ने वि.व.13 के दौरान किसी मूल्यांकन रिकार्ड की जांच नहीं की।

उपरोक्त कमियां आईटीडी के आन्तरिक नियंत्रण तंत्र में खामियों को दर्शाती हैं।

आईटीडी ने फर्म के प्रति महालेखाकार (थर्ड पार्टी) द्वारा जारी कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उपलब्ध सूचना का कुशलता से उपयोग नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप मूल्यांकन में आय का अपवंचन हुआ।

5.5 चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा गलत/अपूर्ण प्रमाणीकरण

एक महालेखाकार द्वारा जारी कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट निर्धारिती द्वारा दावित आय तथा कटौती की शुद्धता तय करने के लिए आईटीडी के पास एक साधन है। सीबीडीटी ने यह सुनिश्चित करने हेतु कि निर्धारिती, महालेखाकार तथा एओ अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करते हैं, जनवरी 1999 तथा नवम्बर 1999 में क्रमशः निर्देश संख्या 1959 तथा 1976 निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों में मूल्यांकन को अन्तिम रूप देते समय कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उपलब्ध सूचना के प्रभावी उपयोग के लिए विस्तृत प्रक्रिया है। इसे समाहित करके निर्देश जारी किए गए कि एओ यह सुनिश्चित करने के लिए धारा 143(3) के तहत विस्तृत संवीक्षा के मूल्यांकन की कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट की पूर्णता के समय पर पुनः जांच कर सकता है कि क्या इसके आधार पर अतिरिक्त आय संभव है अथवा क्या इसके तहत प्रस्तुत सूचना के आधार पर अन्य कोई निरीक्षण आवश्यक है।

धारा 44ए में करदाताओं की विभिन्न श्रेणियों द्वारा खाताबही का अनिवार्य रख-रखाव अपेक्षित है तथा धारा 44एबी में कोई भी व्यवसाय या पेशा करने वाले व्यक्ति यदि पिछले वर्ष हेतु उसके व्यवसाय या पेशे का कुल टर्नओवर/सकल प्राप्त क्रमशः ₹ 40 लाख या ₹ 10 लाख से अधिक है, तो उसके खाते की लेखापरीक्षा अपेक्षित है। थर्ड पार्टी रिपोर्टिंग में कमियां बॉक्स 5.3 में दी गई हैं।

बॉक्स 5.3: थर्ड पार्टी रिपोर्टिंग में कमियों के निदर्शी मामलें

क. सीआईटी-भुवनेश्वर प्रभार, ओडिशा में, हमने देखा कि अधिनियम की धारा 44ए के प्रावधानों का मै. एस.एम. एन्टरप्राइजेज के संदर्भ में अनुपालन नहीं किया गया। सीआईटी-हुबली प्रभार, कर्नाटक में, एओ ने नि.व.09 के लिए संवीक्षा के तहत तथा नि.व.10 एवं नि.व.11 के लिए सारांश के तरीके से मै. ए.ए. लाजिस्टिक फर्म का मूल्यांकन पूर्ण किया। हमने देखा कि अधिनियम की धारा 44ए तथा धारा 44एबी के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया तथा अधिनियम के धारा 271ए तथा 271बी के तहत जुर्माना लगाने के लिए इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। यह बताए जाने पर, आईटीडी ने नि.व.09 के लिए लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार किए तथा अधिनियम की धारा 271ए के तहत जुर्माना लगाया।

ख. सीआईटी-तिरुपति प्रभार, आंध्र प्रदेश में, दो मामलों में हमने पाया कि 'थर्ड पार्टी' ने चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा गलत रिपोर्टिंग दर्शाते हुए दो निर्धारित फर्मों के संदर्भ में एकसमान विवरण³¹ की सूचना दी थी/प्रमाणीकृत किया था।

ग. पश्चिम बंगाल में, दो मामलों में हमने पाया कि टीडीएस प्रावधानों के अनुपालन के संदर्भ में 'थर्ड पार्टी' सही सूचना देने में विफल हुई तथा एक मामले में, उन्होंने लाभ एवं हानि के लिए खर्च में लिखे गए व्ययों के बावजूद 'टेलीफोन एवं मोटर कर व्यय' का परिमाण नहीं किया।

घ. सीआईटी-थाणे प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.व.11 के लिए मै. श्री वरद विनायक डेवलपर्स के मामले में, निर्धारित ने नि.व.10 के लिए कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें कर लेखापरीक्षकों ने ₹ 59 लाख पर टीडीएस की कटौती न होने की सूचना दी थी परन्तु एओ इसे पुनः प्रारम्भ करने तथा आय में ₹ 59 लाख की राशि वापिस जोड़ने के लिए संवीक्षा द्वारा नि.व.10 के लिए रिटर्न के आकलन करने में विफल हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.23 लाख के राजस्व की हानि हुई।

ङ. कर्नाटक में, हमने पाया कि जांच की गई 1,265 फर्मों में से 867 भागीदारों वाली 250 फर्मों ने 3सीडी रिपोर्ट फॉर्म में भागीदारों का पीएएन वर्णित नहीं किया।

च. पंजाब में, हमने पाया कि निर्धारित ने धारा 44एबी के अनुसार 3सीडी रिपोर्ट फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया था। इसके अलावा, एओ ने न तो जुर्माना लगाया और न ही प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए निर्धारित को नोटिस जारी किया।

इस संदर्भ में, 'मूल्यांकन प्रक्रियाओं³² में थर्ड पार्टी रिपोर्टिंग/प्रमाणीकरण की समालोचना की समीक्षा' के लिए निर्देश भी मांगे जाते हैं जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए सिफारिश की गई थी कि एओज ने संबंधित रिकॉर्ड के साथ कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट की गंभीरता से जांच की तथा उन मामलों जहां कर लेखापरीक्षकों द्वारा गलत सूचना दी गई है, में निर्देश संख्या 1959 के अनुसार कार्रवाई की। सीबीडीटी ने सिफारिशों को स्वीकार किया था। तथापि, एकसमान मामलों की पुनरावृत्ति को ध्यान में रखते हुए, सिफारिशों को दोहराया गया।

31 भाड़ा प्रभार तथा मजदूर वेल्फेयर व्यय।

32 सीएजी की 2008 की प्रतिवेदन संख्या पीए 7 का अध्याय-2।

5.6 कर प्रशासन में सर्वेक्षण की प्रभावकारिता

अधिनियम के प्रावधान एओ को आय निर्धारण तथा कर संग्रहण के लिए फाइल रिटर्न तथा विवरण की संवीक्षा करने में सक्षम बनाते हैं। एओ के प्राथमिक कार्य खाताबही की जांच तथा निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का सत्यापन करना है। इस संदर्भ में, सर्वेक्षण का अधिकार निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए कार्य करता है अर्थात् (i) आईटीडी का निर्धारण निर्धारिती और उसकी अर्जन गतिविधियों के विषय में सूचना तक पहुंचना तथा उसे प्राप्त करना है, तथा (ii) विभिन्न व्यापारों तथा व्यापार पद्धतियों के विषय में सूचना एकत्र करके संवीक्षा के लिए मामलों का अर्थपूर्ण चयन करना है।

हरियाणा में, हमने पाया कि सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त सूचना को ₹ 4.14 लाख के प्रभावी कर सहित कुल आय की संगणना हेतु निर्धारण में उपयोग नहीं किया गया।

इस प्रकार, सर्वेक्षण के दौरान एओज मूल्यांकन करते समय संग्रहित सूचना का प्रभावी उपयोग नहीं कर रहे हैं।

5.7 संवीक्षा हेतु चयन

सीबीडीटी प्रत्येक वर्ष निर्देश जारी करता है जिसमें विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत अनिवार्य संवीक्षा हेतु मूल्यांकन के चयन के लिए प्रक्रिया वर्णित है अनिवार्य संवीक्षा हेतु सीबीडीटी के मानदंड तथा कम्प्यूटर एडेड चयन हेतु संवीक्षा (सीएसएस) मानदंड के अनुसार, कार्य समापन प्रक्रिया का अनुसरण करने वाले सभी बिल्डरों की रिटर्न को अनिवार्य संवीक्षा के लिए चयनित करना आवश्यक है।

हमने महाराष्ट्र में दो ऐसे मामले पाए जिसमें पिछले वर्ष के संदर्भ में आय में कटौती के बावजूद संवीक्षा के तरीके के अन्तर्गत मूल्यांकन हेतु मामलों पर विचार नहीं किया गया (बॉक्स 5.4 देखें)।

बॉक्स 5.4: संवीक्षा मूल्यांकन के तहत चयन न होने का निदर्शी मामला

पिछले तीन नि.व.09, 10 तथा 11 के लिए सीआईटी-XXII मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, **मै. राजा कंस्ट्रक्शन** के मामलों में, हमने पाया कि फर्म को नि.व.09 की तुलना में नि.व.10 में ₹ 118 लाख आय की कटौती होने के बावजूद सारांश के तहत मूल्यांकित किया गया। फर्म ने उपरोक्त निर्धारण वर्षों के दौरान क्रमशः ₹ 157.41 लाख, ₹ 39.93 लाख तथा ₹ 70.68 लाख की कर योग्य आय दर्शायी है।

आईटीडी ने राजस्व हानि की अग्रणी दोषी फर्मों के प्रति बकाया मांगों की वसूली/खारिज नहीं किया।

5.8 बकाया मांग की वसूली करना/खारिज करना

अधिनियम की धारा 226(5) के प्रावधानों के अन्तर्गत, एओ अथवा कर वसूली अधिकारी (टीआरओ) यदि सीसीआईटी अथवा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सीआईटी से प्राधिकृत हो, तो वह अनुसूची में वर्णित प्रकार से जब्त द्वारा तथा उसकी चल/अचल सम्पत्ति की बिक्री द्वारा एक निर्धारिती से देय कर के किसी भी बकाया की वसूली कर सकता है। इसके अलावा, आईटीडी की कार्यालयी प्रक्रिया की नियमावली का अध्याय 13 निर्दिष्ट करता है कि जब अधिनियम के तहत वसूली अधिकारों के कार्यान्वयन के बावजूद कर मांगों की वसूली नहीं होती, तब 'बकाया को खारिज करना' के विकल्प पर विचार किया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार द्वारा आयकर विभाग को राजस्व को खारिज करने की शक्ति दी गई है। सभी सीआईटीज के पास अगले उच्च अधिकारी को एक रिपोर्ट के अधीन आयकर, सम्पत्ति कर आदि के अवसूली योग्य बकाया को खारिज करने के पूरे अधिकार हैं।

यदि एक निर्धारिती नोटिस प्राप्त की तिथि से एक माह के अन्दर कर मांग की राशि का भुगतान करने में विफल होता है तो एओ को जब्त वारंट द्वारा तथा निर्धारिती की चल/अचल सम्पत्ति की बिक्री द्वारा ऐसी मांगों की वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ करनी चाहिए। उसे मांग नोटिस की ऐसी राशि के भुगतान न करने के लिए धारा 221(1) के तहत जुर्माना प्रारम्भ करने के साथ शीघ्र/उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए उच्चतम प्राधिकरणों/सीआईटी तथा टीआरओज को ऐसे मामलों की सूचना देनी चाहिए।

हमने ऐसे मामले पाए जहां मांग की वसूली/खारिज करने के लिए प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया।

क. हरियाणा प्रभार में, आठ मामलों में चूककर्ता फर्म के प्रति 3 से अधिक वर्षों के लिए ₹ 125.81 लाख की कर मांग के ऐरियर बकाया थे। इसके अलावा, पंजाब प्रभार में, ₹ 282.01 लाख की राशि के कर मांग के ऐरियर चूककर्ता फर्म के प्रति बकाया थे तथा जम्मू एवं कश्मीर प्रभार में, ₹ 813.15 लाख का कुल ऐरियर तीन से अधिक वर्षों के लिए बकाया था। तथापि, किसी भी मामलों में अधिनियम में वर्णित प्रक्रियाओं का सहारा नहीं लिया गया था।

- ख. हमने सीआईटी-॥ गुवाहटी प्रभार, आसाम में, निर्धारण वर्ष 10 के लिए **मै. जीएम कोक होल्डिंग** के मामलों में पाया कि एओ ने ₹ 257.35 लाख के मांग नोटिस की वसूली की जिसकी सीआईटी (ए) द्वारा भी पुष्टि की गई परन्तु वसूली के लिए अन्य कार्रवाई का अनुसरण नहीं किया। आईटीडी ने मांग कर के भुगतान में चूक के लिए अपेक्षित जुर्माने की प्रक्रियाओं को प्रारम्भ नहीं किया।
- ग. उत्तर प्रदेश में, हमने पाया कि एओ ने वि.व. 11, 12 तथा 13 के संबंध में तीन से अधिक वर्षों के लिए कानपुर तथा आगरा से संबंधित क्रमशः ₹ 25,630 लाख तथा ₹ 2,961 लाख की मांग राशि को बकाया रखने के बावजूद ऐरियर मांग को आंशिक रूप से खारिज/खारिज नहीं किया। हमने सीआईटी-इलाहाबाद में भी पाया कि **मै. गजराज केमिकल्स** के संदर्भ में नि.व.10 के लिए संवीक्षा मूल्यांकन के पश्चात् हुए ₹ 115.04 लाख की मांग की वसूली के लिए अनुसरण नहीं किया गया।
- घ. सीआईटी-॥, कोच्ची प्रभार, केरला में, हमने पाया कि यद्यपि ₹ 209.11 करोड़ की राशि का कर ऐरियर (सभी निर्धारिती) मार्च 2013 के अन्त तक बकाया था, तथापि, एओ ने इसकी वसूली के लिए कोई प्रतिरोधी कार्रवाई नहीं की।
- ङ. गुजरात में, सात मामलों में हमने पाया कि बकाया मांग की अधिनियम की धारा 220(2) के तहत ₹ 53.85 लाख का कर प्रभाव वाला ब्याज लगाए बिना वसूली की गई।

उपरोक्त व्याख्या से यह सिद्ध होता है कि एओ तथा टीआरओ के स्तर पर आन्तरिक नियंत्रण कमजोर है तथा उपयुक्त स्तर पर मॉनीटर नहीं हो रही है।

5.9 अन्य

- क. अगस्त 2002 की सीबीडीटी की निर्देश संख्या 7/2002 के अनुसार, जहां प्रतिदाय जारी करने से पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक है वहां निर्धारित प्रतिदाय को प्रतिदाय के निर्धारण की तिथि से 30 दिनों के अन्दर जारी किया जाना चाहिए। सीआईटी-XI कोलकाता प्रभार के तहत पश्चिम बंगाल में, हमने देखा कि रैंज अधिकारियों ने प्रतिदाय के लिए प्रशासनिक स्वीकृति देने में दो माह से अधिक समय लिया। बारह मामलों में, उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् इसी प्रकार की मंजूरी दी गई।

- ख. सीआईटी-गाजियाबाद प्रभार उत्तर-प्रदेश में, हमने दो मामलों में देखा कि ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली ने जमा कर के लिए क्रेडिट के अभिज्ञान के बिना एक काल्पनिक मांग की थी।
- ग. गुजरात में, हमने पाया कि शिकायतों का निपटान चार मामलों के संदर्भ में तीन से अधिक वर्षों के लिए तथा आठ मामलों में तीन से कम वर्षों के लिए लंबित था। आईटीडी ने अवलोकन को स्वीकार किया (जुलाई 2013) तथा उत्तर दिया कि लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाए गए लंबन पर ध्यान दिया जा रहा है।
- घ. हमने सीआईटी-वलसाड प्रभार गुजरात में पाया कि **मै. जे. के. ब्रदर्स** के मामले में, ₹ 17.20 लाख राशि की हानि को आगे ले जाने के अनियमित भत्तों को उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रविष्ट विभिन्न प्रमुख आय के जोड़ के साथ आईटीडी प्रणाली सॉफ्टवेयर के तहत दर्शायी गई कुल आय की वर्णनात्मकता न होने के कारण मंजूरी दी गई।
- ङ. आंध्र प्रदेश में, हमने देखा कि आईटीडी फर्म के संदर्भ में 474 स्टोप-फाइलर्स तथा 3202 नॉन फाइलर्स में से केवल 114 निर्धारितियों को नोटिस जारी किए। कर्नाटक में, आईटीडी ने 1748 नॉन-फाइलर्स को न तो कोई नोटिस जारी किया और न ही जुर्माना लगाया।

5.10 सिफारिशें

हमने सिफारिश की कि

- क. आईटीडी निर्देशों, नियमों, परिपत्रों तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपने आन्तरिक नियंत्रण तथा मॉनीटरिंग तंत्र को मजबूत कर सकता है। मंत्रालय, कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में गलत प्रमाणीकरण के लिए थर्ड पार्टियों के प्रति उपयुक्त कार्रवाई भी कर सकता है तथा बकाया की वसूली अथवा अवसूलीयोग्य बकाया को खारिज करने के लिए आवश्यक प्रयास कर सकता है।

ख. आईटीडी यह सुनिश्चित कर सकता है कि उनकी क्षेत्रीय इकाई द्वारा सभी आवश्यक रजिस्ट्रों का रख-रखाव किया जाता है जिनकी अनुपालन हेतु आन्तरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा जांच की जा सकती है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2014) कि डीआईटी (संगठन एवं प्रबंधन सेवाएं) ने रख-रखाव करने के लिए रजिस्टर के कुछ सेट निर्धारित किए हैं तथा इसे आईटीडी आवेदन में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में समर्थ बनाया गया है।



(मनीष कुमार)

प्रधान निदेशक (प्रत्यक्ष कर)

नई दिल्ली

दिनांक: 30 मई 2014

प्रतिहस्ताक्षरित



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 30 मई 2014